संजय कुमार अग्रवाल <sup>अध्यक्ष</sup> Panjay Kumar Agarwal







भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क ब्य Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Indirect Taxes & Customs

19th August, 2024

DO No. 34/News Letter/CH(IC)/2024

Dear Colleague,

On the momentous occasion of India's 78th Independence Day, all CBIC formations across the nation proudly celebrated by hoisting the national flag with great reverence and enthusiasm. As we reflect on the sacrifices made by our freedom fighters and the journey of our nation since 1947, we draw inspiration from the Hon'ble Prime Minister's address at Lal Qila, reaffirming our commitment to building a self-reliant and prosperous India. CBIC remains dedicated to this national cause, ensuring efficiency, transparency, and integrity in all our services, contributing to the vision of a *Viksit Bharat*. As we stand united under the Tricolour, the words of former President of India, Dr. A.P.J. Abdul Kalam deeply resonate within us:

"I climbed and climbed
Where is the peak, my Lord?
I ploughed and ploughed,
Where is the knowledge treasure, my Lord?
I sailed and sailed,
Where is the island of peace, my Lord?
Almighty, bless my nation
With vision and sweat resulting into happiness"

A special All-India drive was conducted last year to verify and detect suspicious/fake GST registrations, aimed at preventing revenue loss to the Government. In light of its success, it has been decided to conduct a second All-India drive from 16th August 2024 to 15th October 2024, targeting fake registrations and bogus invoices. This drive will be conducted in a coordinated manner by both Central and State tax authorities, following common guidelines issued by the GST

Policy Wing to ensure uniformity in action and effective coordination. The use of the GSTN Back Office for information sharing will be an integral part of this effort, along with a prescribed feedback and reporting mechanism. The CGST Zones are advised to closely monitor the progress of actions taken on suspicious GSTINs received from GSTN or identified locally, ensuring timely interventions and continued vigilance for success of the drive.

Fortifying the instructions already issued by the Board on the investigation process – maintaining ease of doing business while ensuring compliance with GST laws – the relevant portion has now been extended to audit proceedings. The instances noticed during the process of audit where there is more than one interpretation and likelihood of litigation the Zonal (Pr.) Chief Commissioner should follow the prescribed procedure in these instructions.

It is a moment of great pride for all of us as the Capacity Building Commission has recognized and provided a platform for NACIN Palasamudram to highlight its cutting-edge features and advancements in technology. The dedicated team at NACIN have set up an impressive kiosk showcasing Project Palasamudram in Vigyan Bhawan. Additionally, a presentation was made to the Hon'ble Minister of State (Personnel, Public Grievances and Pensions) and participating training institutes at Vigyan Bhawan highlighting the Immersive Training Facility and the innovative use of technology in the campus. NACIN leading the way!

In a significant action targeting trade-based money laundering (TBML), the officers of DRI Kolkata used data analytical tools to unearth a syndicate involved in illicitly transferring foreign exchange (FOREX) out of India by importing low-quality cosmetics at highly inflated prices. These goods, imported through non-functional firms, were overvalued in collusion with foreign suppliers and duty payment was avoided by warehousing them in the Free Trade Warehouse Zone (FTWZ) and subsequently exported without corresponding FOREX inflow. A total of 8 MT of 'Dark Circle Essence' and 20 MT of 'Skin Tightening Gel', found not fit for human application and having declared value of Rs. 199.27 Crores, were seized under the provisions of the Customs Act. Great work!

On the GST side, DGGI Kozhikode Regional Unit detected a case of non-payment of GST by Indian office of a larger international membership organisation. While the Indian office was engaged in collecting entrance fee and annual membership fees from the members of affiliated clubs in India towards the services supplied to such members by the Indian office for the services received from abroad,

the Indian office did not pay GST on such supply of services. On being pointed out the present legal position of levy of GST on club or association service, the office in India has discharged the entire tax dues along with interest and applicable penalty amounting to Rs. 230.30 Crore. Commendable work by the officers!

Until next week!

Yours sincerely,

(Sanjay Kumar Agarwal)

All Officers and Staff of the Central Board of Indirect Taxes & Customs.

संजय कुमार अग्रवाल अध्यक्ष Sanjay Kumar Agarwal Chairman







वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

19 अगस्त, 2024

DO No. 34/News Letter/CH(IC)/2024

प्रिय सहमर्भी,

भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर, देश भर में सभी सीबीआईसी कार्यालयों ने राष्ट्रीय ध्वज को बड़े सम्मान और उत्साह के साथ फहराकर गर्व के साथ इस दिवस को मनाया। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दी गई कुर्बानियों और 1947 से लेकर अब तक के हमारे राष्ट्र की यात्रा पर विचार करते हैं, और साथ ही लाल किला से माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन से प्रेरणा लेते हैं, जिससे आत्मनिर्भर एवं समृद्ध भारत के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। सीबीआईसी इस राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए समर्पित है, तथा अपनी सभी सेवाओं में दक्षता, पारदर्शिता और सत्यिनष्ठा सुनिश्चित करते हुए विकसित भारत के विजन में योगदान दे रहा है। जब हम तिरंगे के नीचे एकजुट खड़े होते हैं, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्द हमारे अंतर्गत गहराई से गूंजते हैं:

"I climbed and climbed
Where is the peak, my Lord?
I ploughed and ploughed,
Where is the knowledge treasure, my Lord?
I sailed and sailed,
Where is the island of peace, my Lord?
Almighty, bless my nation
With vision and sweat resulting into happiness"

राजस्व हानि को रोकने के उद्देश्य से पिछले साल एक स्पेशल आल इंडिया ड्राइव चलायी गई थी, जिसके तहत संदिग्ध/फर्जी जीएसटी पंजीकरण की जांच की गई । इसकी सफलता को देखते हुए, 16 अगस्त 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक एक दूसरी स्पेशल आल इंडिया ड्राइव चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें

फर्जी पंजीकरण और इनवॉइस को लिक्षित किया जाएगा। यह अभियान केंद्रीय और राज्य कर प्राधिकरणों द्वारा समन्वित तरीके से चलाया जाएगा, जिसमें जीएसटी पॉलिसी विंग द्वारा जारी सामान्य दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा, जिससे कार्रवाई में समानता और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित हो सके। इस प्रयास में सूचना साझा करने के लिए जीएसटीएन बैक ऑफिस का उपयोग एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, साथ ही एक निर्धारित फीडबैक और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी होगा। CGST जोनों को GSTN से प्राप्त या स्थानीय रूप से पहचाने गए संदिग्ध GSTIN पर की गई कार्रवाइयों की प्रगति पर नजदीकी से निगरानी रखने, समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करने और अभियान की सफलता के लिए सतर्कता बनाए रखने की सलाह दी जाती है।

जांच प्रक्रिया पर बोर्ड द्वारा पहले से जारी निर्देशों को सुदृढ़ करते हुए— व्यवसाय में आसानी के साथ साथ जीएसटी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना— अब इसे ऑडिट कार्यवाही तक विस्तारित कर दिया गया है। ऑडिट प्रक्रिया के दौरान जिन मामलों में एक से अधिक व्याख्या और मुकदमे की संभावना हो, वहां ज़ोनल (प्र.) मुख्य आयुक्त को इन अनुदेशों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

हम सभी के लिए यह गर्व का क्षण है कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने NACIN पालासमुद्रम की अत्याधुनिक विशेषताओं और प्रौद्योगिकी में प्रगति को पहचानते हुए उसे एक मंच प्रदान किया। NACIN की समर्पित टीम ने विज्ञान भवन में प्रोजेक्ट पलासमुद्रम को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रभावशाली कियोस्क स्थापित किया। इसके अतिरिक्त, माननीय राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन) और भाग लेने वाले प्रशिक्षण संस्थानों के समक्ष विज्ञान भवन में एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें इमर्सिव ट्रेनिंग सुविधा और परिसर में प्रौद्योगिकी के नवीन उपयोग को उजागर किया गया। NACIN पथ प्रदर्शक कार्य कर रहा है!

व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (TBML) को लक्षित करते हुए एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में, डीआरआई कोलकाता के अधिकारियों ने डेटा विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करके एक ऐसे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया जो निम्न गुणवत्ता वाले कॉस्मेटिक्स को अत्यधिक बढ़ी हुई कीमतों पर आयात करके अवैध रूप से विदेशी मुद्रा (FOREX) को भारत से बाहर भेजने में शामिल था। ये वस्तुएं, जो गैर-कार्यात्मक फर्मों के माध्यम से आयात की गई थीं, को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलीभगत करके अधिक मूल्य पर दिखाया गया था, और उन्हें फ्री ट्रेड वेयरहाउस जोन (FTWZ) में गोदाम में रखकर शुल्क भुगतान से बचा लिया गया और बाद में बिना संबंधित FOREX प्रवाह के निर्यात कर दिया गया। कुल 8 मीट्रिक टन 'Dark Circle Essence' और 20 मीट्रिक टन 'Skin Tightening Gel', जो मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए और जिनका घोषित मूल्य 199.27 करोड़ रुपये था, को कस्टम्स अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया। शानदार कार्य!

जीएसटी के मामले में, डीजीजीआई कोझीकोड रीजनल यूनिट ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय सदस्यता संगठन के भारतीय कार्यालय द्वारा जीएसटी का भुगतान न करने का मामला पकड़ा। जबिक भारतीय कार्यालय भारत में मान्यता प्राप्त क्लबों के सदस्यों से प्रवेश शुल्क और वार्षिक सदस्यता शुल्क एकत्र कर रहा था, जो कि भारतीय कार्यालय द्वारा सदस्यों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए था, विदेश से प्राप्त सेवाओं पर भारतीय कार्यालय ने जीएसटी का भुगतान नहीं किया। क्लब या संघ सेवा पर जीएसटी लगाने की वर्तमान कानूनी स्थिति की ओर ध्यान दिलाए जाने पर, भारत स्थित कार्यालय ने 230.30 करोड़ रुपये के कर बकाया को ब्याज और लागू जुर्माने सिहत जमा कर दिया। अधिकारियों का सराहनीय कार्य!

अगले सप्ताह तक!

भवदीय,

संजय सुमार्

(संजय कुमार अग्रवाल)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण।